पत्रांक– 01 / स्टे०–03–22 / 2024...49../अ०

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोनः 0651–2400981, फैक्सः0651–2400982, ई–मेलः govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषकः

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक 02.07.2026

विषयः– **पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा प्रखण्ड अंतर्गत छोटा पारूलिया पंचायत के खेजुरडीहा मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 32,32,442 / – (बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बयालिस) मात्र निधि का आवंटन।**

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 08 / रा०, दिनांक–29.04.2026 तथा प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–110 / रा०, दिनांक– 15.03.2024 एवं आवंटनादेश संख्या–131 / आ०, दिनांक– 21.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–228 / खे०, दिनांक–04.06.2026 द्वारा किए अधियाचना एवं उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष–03–खेलकूद तथा युवा सेवा – लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष –22– स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन– विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– प्राथमिक इकाई– 45– निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 32,32,442 / – (बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बयालिस) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोडः 52S42020379622000545)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	एकरारनामा की राशि	योजना हेतु लागत राशि (एकरारनामा राशि से 3.82% अभिवृद्धि राशि सहित)	पूर्व में आवंटित राशि	अधियाचित अवशेष देय आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6–7)
1	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	बहरागोड़ा प्रखण्ड अंतर्गत छोटा पारूलिया पंचायत के खेजुरडीहा मैदान में स्टेडियम निर्माण	83,04,550 / –	79,30,000 / –	82,32,442 / –	50,00,000 / –	32,32,442 / –
		कुल	*83,04,550 / –*	*79,30,000 / –*	*82,32,442 / –*	*50,00,000 / –*	*32,32,442 / –*

(बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बयालिस) रूपये मात्र।

3. विषयांकित योजना हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–110/रा०, दिनांक–15.03.2024 के द्वारा कुल रू० 83,04,550/– की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी परन्तु कार्यकारी एजेंसी द्वारा संवेदक से रू० 79,30,000/– पर एकरारनामा किया गया है । योजना के कार्यान्वयन के क्रम में वास्तविक स्थल परिस्थिति के अनुरूप अतिरिक्त आवश्यक कार्य यथा– पैवेलियन क्षेत्र का स्तर अपेक्षाकृत नीचा होने के कारण भूमि समतलीकरण हेतु Earth Filling का कार्य एवं उक्त Earth Filling को सुरक्षित रखने एवं संरचना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए Retaining Wall का निर्माण कार्य कराया गया जिसके कारण योजना लागत में एकरारित राशि से 3.82% अधिक अर्थात रू० 3,02,442/– की अभिवृद्धि हुई जो प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत तथा Jharkhand Public Work Department Code 2012 Power of Executive Engineer, Clause-XII के अधीन है, के आलोक में यह आवंटन दी जा रही है।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से की जायेगी।

5. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

6. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक–17.04.98 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

7. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

02/07/26

(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव
राँची, दिनांकः 02.07.2026

ज्ञापांक :..49/351..

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 1/ST-03-22/2024/-49

दिनांक - 02-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 42020379622000545 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 - खेलकूद तथा युवा सेवा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 22 - स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन 00-NA 05 - निर्माण **State Scheme**	36638	JSRDAD029 RAJIV RANJAN D.C.EASTSINGHBHUM JSR. 45 - निर्माण कार्य	3,232,442.00 रुपये बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बयालीस

State Scheme : CONSTRUCTION & UPGRADATION OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL STADIUM/ASTROTURF SWAMI VIVEKANAND MONUMENT/NCC BUILDING & SPORTS INFRASTRUCTURE(1787)

Centeral Scheme :

योग:

क्रमिक योग: रुपये बत्तीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बयालीस 3,232,442.00

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 2/7/2026